राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमाक: प.5(2)एनएमओओपी / खरीफ मिनि.रा.यो. / 2017–18 / 2328 / 2476 दिनांक 12/05/2017

1– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
2– उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद समस्त
3–परियोजना निदेशक कृषि सी.ए.डी. कोटा ।
4–परियोजना निदेशक इ.गा.न.प. बीकानेर

विषयः– खरीफ– 17 में राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न फसलों के बीज मिनिकिट वितरण के लक्ष्यों के आवंटन एंव दिशा–निर्देश के संबंध में ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि खरीफ– 2017 हेतु राज्ययोजनान्तर्गत विभिन्न फसलों के मिनिकिट्स संलग्न Annexure–1 के अनुसार आपके जिले में आवंटित किये जा रहे हैं। अपने अधीनस्थ कार्यरत सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), सहायक कृषि अधिकारियों व कृषि पर्यवेक्षको के माध्यम से अविलम्ब सम्पूर्ण जिले में मिनिकिट्स वितरित करवाने की कार्यवाही करावें। मिनिकिट वितरण कार्य संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुसार करते हुऐ निम्नलिखित तथ्यों का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावे।

1 मिनिकिट वितरण प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले तथा अन्त्योदय परिवारों एवं **गैर–खातेदार / खातेदार कृषकों** को प्राथमिकता से मिनिकिट की कीमत का 10 प्रतिशत टोकन राशि वसूल करते हुए वितरण किये जाने हैं। मिनिकिट महिला के नाम से दिये जाने है, चाहे भूमि महिला के पति / पिता / ससुर के नाम से हो। एक महिला को मिनिकिट का एक ही पैकेट दिया जायेगा।
2 मिनिकिट वितरण हेतु पूर्व में निर्धारित रजिस्टर में कृषक का नाम आदि का इन्द्राज कर टॉकन राशि का भी इन्द्राज किया जाना है तथा कृषक के हस्ताक्षर करवाये जाने है।
3 खरीफ मिनिकिट्स की वसूल की गई टॉकन राशि कृषि पर्यवेक्षक द्वारा 15 सितम्बर तक सम्बन्धित सहायक निदेशक कृषि के कार्यालय में एवं सहायक निदेशक कृषि द्वारा 30 अक्टूबर तक राजकीय कोष में जमा कराना सुनिश्चित करेगें। इसी प्रकार रबी मिनिकिट्स की टॉकन राशि कृषि पर्यवेक्षक द्वारा 15 दिसम्बर तक सम्बन्धित सहायक निदेशक कृषि कार्यालय में एवं सहायक निदेशक कृषि कार्यालय द्वारा 30 जनवरी तक राजकीय कोष में जमा कराना सुनिश्चित करेगें।
4 मिनिकिट की 10 प्रतिशत राशि कृषि पर्यवेक्षक द्वारा कृषक से वसूल कर सम्बन्धित सहायक निदेशक कृषि के कार्यालय में जमा करवाने पर कृषि पर्यवेक्षक को GA-55 में रसीद दी जायेगी।

5 मिनिकिट की टॉकन मनी के रूप में प्राप्त राशि राजकीय कोष में निम्न मद में जमा करायी जायेगीः–

0401–फसल कम से आय

00–

800–अन्य आय

02–अन्य विविध प्राप्तियां

01–अन्य मद

6 चयन हेतु महिला कृषकों के पास सिंचाई साधन उपलब्ध होना आवश्यक है। पात्र महिला कृषकों की सूची कृषि पर्यवेक्षक द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर बनायी जावे।

7 लाभान्वित महिलाओं की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय व सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), कार्यालय पर प्रदर्शित की जाये।

8 पूर्व की भॉति इस वर्ष भी मिनिकिट से बीज उत्पादन करने हेतु लाभान्वित कृषकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाना सुनिश्चित करावें। मिनिकिट लाभान्वित कृषकों को बीज उत्पादक कृषकों के रूप में प्रशिक्षित करने एवं स्वंय के उपयोग के लिए बीज उत्पादन करने हेतु पूर्व निर्देशानुसार प्रशिक्षण समय पर आयोजित करावें एवं यह भी सुनिश्चित करावें कि मिनिकिट लाभान्वित कृषकों द्वारा इस प्रशिक्षण का लाभ लेकर मिनिकिट बीज से उन्नत बीज उत्पादन किया गया है।

9 उप निदेशक कृषि (विस्तार) पूर्व की भॉति समय समय पर प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रगति, प्रथम सूचना रिपोर्ट, उपज परिणाम एवं कृषकों की राय निर्धारित प्रपत्र में निदेशालय को प्रेषित करावें।

10 मिनीकिटस आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद कार्यालय में आपूर्ति किये जायेगें। उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), से चर्चा कर सात दिवस में फसल विशेष के क्षेत्र के अनुपात में **ग्राम पंचायतवार आवंटन कर**/सहायक कृषि अधिकारी/सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) वार मिनीकिट वितरण के लक्ष्य निर्धारित करेगें तथा एक प्रति आयुक्तालय को भिजवायेगें।

11 मिनिकिट्स वितरण कार्यक्रम में सांसद ग्राम योजना के अन्तर्गत गोद लिए गए गॉवों को प्राथमिकता दिया जाना सुनिश्चित करें।

12 मिनिकिट्स के आयोजन हेतु दिशा–निर्देशों की शतप्रतिशत पालना हो, इसकी सुनिश्चिता सम्बन्धित संयुक्त निदेशक खण्ड अपने स्तर से करेंगे। किसी भी बिन्दु की पालना यदि नहीं होती हैं तो खण्डीय संयुक्त निदेशक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

बीज आपूर्तिकर्ता संस्था संलग्न **Annexure–1** के अनुसार विभिन्न फसलों के मिनिकिट सम्बन्धित उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद कार्यालय में अविलम्ब 15 मई 2017 आपूर्ति करने की व्यवस्था करायेगी।

मिनिकिट्स डिस्पैच करने से पूर्व आपूर्ती संस्था द्वारा प्रत्येक लॉट की अंकुरण परीक्षण रिर्पोट कृषि विभाग को उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रत्येक मिनिकिट में उपचारित बीज, कल्चर व उन्नत कृषि विधियों का साहित्य भी प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

2328

क्रमाकः प.5(2)एनएमओओपी / खरीफ मिनि.रा.यो. / 2017–18 / 2471 दिनांक 12/05/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. जिला कलक्टर समस्त ....।
4. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार / आदान / अनुसंधान), कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक कृषि, खण्ड समस्त ।
6. महाप्रबन्धक राज. राज्य बीज निगम लि. जयपुर को भेजकर निवेदन है कि बीज मिनिकिट हेतु प्रमाणित बीज ही अविलम्ब आंवटन अनुसार आपूर्ति करावें।
7. संयुक्त निदेशक कृषि (योजना / पौध संरक्षण / ज..उ.प्र. / गुण नियन्त्रण / रसायन / ए. टी.सी. / एम एण्ड ई / आदान), कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
8. मुख्य सांख्यिकी अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, जयपुर ।
9. उप निदेशक कृषि (बीज / विस्तार / अभियांत्रिकी / रसायन / सूचना) मुख्यालय,जयपुर ।
10. उप निदेशक कृषि (सांख्यिकी) को आंकडे कम्प्यूटर में फीड करवाने हेतु प्रेषित है।
11. आरक्षी पत्रावली।

(एम.एल.सालोदिया)
अतिरिक्त निदेशक कृषि (एनएमओओपी)